

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मरवाही, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

::आदेश::

क्रमांक / 360 / अ.वि.अ. / रीडर-2 / 2024

मरवाही, दिनांक 11/09/2024

कार्यालय जिला पंचायत (DRDA) जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/2148/DRDA/पंचा./2021-22 गौरेला, दिनांक 12.07.2021 के माध्यम से परियोजना निदेशक जिला पंचायत (DRDA) जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.) द्वारा श्री आनंद सिंह ओट्टी, सरपंच ग्राम पंचायत बदरौड़ी को 14वें वित्त राशि का पी.एन.बी खाता क्रमांक 610300010011864 से डी.एस.सी के माध्यम से राशि 10,03,200/- रु. का भुगतान बिना कार्य किये संबंधित वेंडर को किये जाने से उनके विरुद्ध निलंबित/पद से पृथक करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्र प्राप्त होने के उपरांत उक्त संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 202108281100096 दर्ज कर विधिवत् कार्यवाही प्रारंभ की गई। अनावेदक सरपंच, ग्राम पंचायत बदरौड़ी को कारण बताओ नोटिस एवं आरोप पत्र जारी किया गया। उक्त संबंध में अनावेदक सरपंच द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तोवजों का अवलोकन व परिशीलन किया गया, अवलोकन पश्चात यह स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत बदरौड़ी का कृत्य छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत है तथा सरपंच पद के पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई है, जो छ.ग. पंचायत राज अधिनियम की धारा 48-49 के विपरीत होने से श्री आनंद सिंह ओट्टी का सरपंच पद पर बने रहना लोक हित में अवांछनीय है।

अतः श्री आनंद सिंह ओट्टी, सरपंच ग्राम पंचायत बदरौड़ी, जनपद पंचायत मरवाही को शासन के निर्देशों की अवहेलना करने एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39-1(ख) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


11/9/2024
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं विहित प्राधिकारी
मरवाही

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मरवाही, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

::आदेश::

क्रमांक / 862 / अ.वि.अ. / रीडर-2 / 2024

मरवाही, दिनांक 11/09/2024

कार्यालय जिला पंचायत (DRDA) जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.) के पत्र क्रमांक / 2160 / DRDA / पंचा. / 2021-22 गौरेला, दिनांक 12.07.2021 के माध्यम से परियोजना निदेशक जिला पंचायत (DRDA) जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.) द्वारा श्री सोनू सिंह आर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत मालाडांड को 14वें वित्त राशि का पी.एन.बी खाता क्रमांक 6103000100112049 से डी.एस.सी के माध्यम से राशि 7,09,546/- रु. का भुगतान बिना कार्य किये संबंधित वेंडर को किये जाने से उनके विरुद्ध निलंबित/पद से पृथक करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्र प्राप्त होने के उपरांत उक्त संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 202107281100047 दर्ज कर विधिवत् कार्यवाही प्रारंभ की गई। अनावेदक सरपंच, ग्राम पंचायत मालाडांड को कारण बताओ नोटिस एवं आरोप पत्र जारी किया गया। उक्त संबंध में अनावेदक सरपंच द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तोवजों का अवलोकन व परिशीलन किया गया, अवलोकन पश्चात यह स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत मालाडांड का कृत्य छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत है तथा सरपंच पद के पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई है, जो छ.ग. पंचायत राज अधिनियम की धारा 48-49 के विपरीत होने से श्री सोनू सिंह आर्मा का सरपंच पद पर बने रहना लोक हित में अवांछनीय है।

अतः श्री सोनू सिंह आर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत मालाडांड, जनपद पंचायत मरवाही को शासन के निर्देशों की अवहेलना करने एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39-1(ख) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


11/9/2024
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं विहित प्राधिकारी
मरवाही

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मरवाही, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

::आदेश::


क्रमांक/856 /अ.वि.अ./रीडर-2/2024

मरवाही, दिनांक 11/09/2024

कार्यालय जिला पंचायत (DRDA) जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/2152/DRDA/पंचा./2021-22 गौरेला, दिनांक 12.07.2021 के माध्यम से परियोजना निदेशक जिला पंचायत (DRDA) जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.) द्वारा श्रीमती डोम बाई, सरपंच ग्राम पंचायत पोड़ी को 14वें वित्त राशि का पी.एन.बी खाता क्रमांक 6103000100114278 से डी.एस.सी के माध्यम से राशि 6,72,000/- रू. का भुगतान बिना कार्य किये संबंधित वेंडर को किये जाने से उनके विरुद्ध निलंबित/पद से पृथक करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्र प्राप्त होने के उपरांत उक्त संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 202107281100046 दर्ज कर विधिवत् कार्यवाही प्रारंभ की गई। अनावेदक सरपंच, ग्राम पंचायत पोड़ी को कारण बताओ नोटिस एवं आरोप पत्र जारी किया गया। उक्त संबंध में अनावेदक सरपंच द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तोवजों का अवलोकन व परिशीलन किया गया, अवलोकन पश्चात यह स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत पोड़ी का कृत्य छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत है तथा सरपंच पद के पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई है, जो छ.ग. पंचायत राज अधिनियम की धारा 48-49 के विपरीत होने से श्रीमती डोम बाई का सरपंच पद पर बने रहना लोक हित में अवांछनीय है।

अतः श्रीमती डोम बाई, सरपंच ग्राम पंचायत पोड़ी, जनपद पंचायत मरवाही को शासन के निर्देशों की अवहेलना करने एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39-1(ख) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


11/9/2024

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं विहित प्राधिकारी

मरवाही

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मरवाही, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

::आदेश::

क्रमांक/४58 /अ.वि.अ./रीडर-2/2024

मरवाही, दिनांक 11/09/2024

कार्यालय जिला पंचायत (DRDA) जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/2156/DRDA/पंचा./2021-22 गौरेला, दिनांक 12.07.2021 के माध्यम से परियोजना निदेशक जिला पंचायत (DRDA) जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.) द्वारा श्री लखन सिंह कंवर, सरपंच ग्राम पंचायत सिवनी को 14वें एवं 15वें वित्त राशि का पी.एन.बी खाता क्रमांक 6103000100111916 से डी.एस.सी के माध्यम से राशि 5,93,644/- रु. का भुगतान बिना कार्य किये संबंधित बैंडर को किये जाने से उनके विरुद्ध निलंबित/पद से पृथक करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्र प्राप्त होने के उपरांत उक्त संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 202107281100045 दर्ज कर विधिवत् कार्यवाही प्रारंभ की गई। अनावेदक सरपंच, ग्राम पंचायत सिवनी को कारण बताओ नोटिस एवं आरोप पत्र जारी किया गया। उक्त संबंध में अनावेदक सरपंच द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तोवजों का अवलोकन व परिशीलन किया गया, अवलोकन पश्चात यह स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत सिवनी का कृत्य छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत है तथा सरपंच पद के पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई है, जो छ.ग. पंचायत राज अधिनियम की धारा 48-49 के विपरीत होने से श्री लखन सिंह कंवर का सरपंच पद पर बने रहना लोक हित में अवांछनीय है।

अतः श्री लखन सिंह कंवर, सरपंच ग्राम पंचायत सिवनी, जनपद पंचायत मरवाही को शासन के निर्देशों की अवहेलना करने एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39-1(ख) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

11/9/2024

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मरवाही
एवं विहित प्राधिकारी
मरवाही



न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मरवाही, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

::आदेश::

क्रमांक / 845 / अ.वि.अ. / रीडर-2 / 2024

मरवाही, दिनांक 05/09/2024

कार्यालय जिला पंचायत (DRDA) जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.) के पत्र क्रमांक / 2123 / (DRDA) / पंचा. / 2021-22 गौरेला, दिनांक 15.07.2021 के माध्यम से परियोजना निदेशक जिला पंचायत (DRDA) द्वारा श्रीमती विमला बाई, सरपंच ग्राम पंचायत दरमोहली को 14वें वित्त की राशि के उपयोग में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित/पद से पृथक करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्र प्राप्त होने के उपरांत उक्त संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 202108281100014 दर्ज कर विधिवत् कार्यवाही प्रारंभ की गई। अनावेदक सरपंच, ग्राम पंचायत दरमोहली को कारण बताओ नोटिस एवं आरोप पत्र जारी किया गया। अनावेदक सरपंच द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तोवजों का अवलोकन व परिशीलन किया गया, अवलोकन पश्चात यह स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत दरमोहली का कृत्य छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत है तथा सरपंच पद के पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई है, जो छ.ग. पंचायत राज अधिनियम की धारा 48-49 के विपरीत होने से श्रीमती विमला बाई का सरपंच पद पर बने रहना लोक हित में अवांछनीय है।

अतः श्रीमती विमला बाई, सरपंच ग्राम पंचायत दरमोहली, जनपद पंचायत मरवाही को शासन के निर्देशों की अवहेलना करने एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39-1(ख) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


05/09/2024
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं विहित प्राधिकारी
मरवाही